Ref. No. CGTMSE /

22 जून/June 22, 2023

क्रेडिट गारंटी योजना - I और II

सीजीटीएमएसई की सभी सदस्य ऋणदात्री संस्थाएँ(एमएलआई)

Credit Guarantee Scheme - I & II

All Member Lending Institutions (MLIs) of CGTMSE

परिपत्र संख्या 228/2023-24

Circular No.228/2023-24

महोदया / प्रिय महोदय Dear Madam / Sir,

तमिलनाडु क्रेडिट गारंटी योजना (टीएनसीजीएस)

Tamil Nadu Credit Guarantee Scheme (TNCGS)

हमें यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सीजीटीएमएसई ने तमिलनाडु राज्य सरकार के सहयोग से तमिलनाडु राज्य में स्थित एमएसई के लिए एक विशेष गारंटी योजना 'तमिलनाडु क्रेडिट गारंटी योजना (टीएनसीजीएस)' शुरू की है। इस योजना के तहत, सभी ऋण सुविधाओं के लिए 75% -85% गारंटी कवरेज सीजीटीएमएसई द्वारा प्रदान किया जाएगा, और शेष गारंटी कवरेज तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा श्रेणी और ऋण राशि के आधार पर 90% तक अधिकतम कवरेज के साथ प्रदान किया जाएगा। संबंधित एमएलआई के दावों को क्रिस्टलीकृत पोर्टफोलियो के अधिकतम 10% एनपीए स्तर तक निपटाया जाएगा (पोर्टफोलियो को हर वित्तीय वर्ष में क्रिस्टलीकृत किया जाएगा)।

We are pleased to inform that CGTMSE in collaboration with State Government of Tamil Nadu, has launched a special guarantee scheme 'Tamil Nadu Credit Guarantee Scheme (TNCGS)' for the MSEs situated in the State of Tamil Nadu. Under the Scheme, 75% -85% of guarantee coverage for all credit facilities will be provided by CGTMSE as hither to, and balance guarantee coverage would be by State Government of Tamil Nadu depending upon the category and loan amount with a maximum coverage upto 90%. The claims of the respective MLI will be settled maximum upto 10% NPA level of crystallized portfolio (portfolio will be crystallized every FY).

यह योजना 01 सितंबर, 2022 से विनिर्माण एमएसएमई को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के लिए प्रभावी बनाई गई है। हालांकि, टीएनसीजीएस के तहत क्रेडिट गारंटी प्राप्त करने की सीमा 31 मार्च, 2024 तक कवर किए गए प्रस्तावों के लिए 200 लाख रुपये होगी। इसके अलावा गारंटी कवरेज का विस्तार करने से पहले आस्ति के स्वामित्व विवरण का सत्यापन दी गई अवधि यानी 31 मार्च, 2024 तक लागू नहीं है। इस संबंध

स्वीकृति नोट

में विशिष्ट अधिसूचना जारी करके इस कवरेज को बढ़ाया जा सकता है। सीजीएस-I और सीजीएस-II के तहत सभी मौजूदा एमएलआई टीएनसीजीएस के तहत पात्र होंगे।

The Scheme is made effective for credit facilities extended to manufacturing MSMEs from September 01, 2022. However, the ceiling for availing credit guarantee under TNCGS would be `200 lakh for proposals covered till March 31, 2024. Further, verification of property ownership details before extending guarantee coverage is not applicable for the given period i.e., till March 31, 2024. This coverage may be extended by issuance of specific notification in this regard. All the existing MLIs under CGS – I and CGS – II shall be eligible under TNCGS.

गारंटी सीजीटीएमएसई द्वारा तमिलनाडु सरकार के साथ साझेदारी में दी जा रही है। तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत हिस्से के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क अगली अधिसूचना तक शून्य है। क्रेडिट गारंटी योजनाओं (बैंकों के लिए सीजीएस - I और एनबीएफसी के लिए सीजीएस - II) के अन्य सभी नियम और शर्तें, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, टीएनसीजीएस के तहत लागू होंगी। योजना दिशानिर्देश **अनुलग्नक** में दिया गया है।

The guarantee is extended by CGTMSE in partnership with Government of Tamil Nadu. Annual guarantee fee for the portion guaranteed by the State Government of Tamil Nadu is nil till further notification. All other terms and conditions of the Credit Guarantee Schemes (CGS – I for banks and CGS – II for NBFCs) shall be applicable, mutatis mutandis, under TNCGS. The Scheme guideline is given at ***Annexure.***

एमएलआई को टीएनसीजीएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगली तिमाही के अंत तक उस तारीख को सूचित करना आवश्यक है जिस पर खाते को एक विशेष कैलेंडर तिमाही में एसएमए0, एसएमए1, एसएमए2 और अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

MLIs are required to inform the date on which the account was classified as SMA0, SMA1, SMA2 and NPA in a particular calendar quarter by end of subsequent quarter on the TNCGS digital platform.

यह पहल तमिलनाडु राज्य में एमएसएमई को वित्तीय सहायता की जरूरतों को पूरा करने में सहायता करेगी। हम आशा करते हैं कि आप टीएनसीजीएस को लोकप्रिय बनाएँ और यह सुनिश्चित करें कि योजना का लाभ उचित रूप से साकार हो। कृपया इस परिपत्र की विषय- वस्तु को तमिलनाडु राज्य में स्थित आपके सभी कार्यालयों के ध्यान में लाएँ।

This initiative will support meeting the needs of financial assistance to the MSMEs in the State of Tamil Nadu. We look forward to you for popularizing TNCGS & ensuring that the benefit of the Scheme is properly extended. The contents of this circular may please be brought to the notice of all your offices located in the State of Tamil Nadu.

भवदीय Yours faithfully,

ह/Sd/-

(धीरज कुमार Dhiraj Kumar)

उप महाप्रबंधक Deputy General Manager

संलग्नक : यथोपरि Encl: as above

संलग्नक Annexure

तमिलनाडु सरकार
तमिलनाडु क्रेडिट गारंटी योजना "टीएनसीजीएस"
Government of Tamil Nadu
Tamil Nadu Credit Guarantee Scheme "TNCGS"

तमिलनाडु क्रेडिट गारंटी योजना "टीएनसीजीएस"
के परिचालन के लिए दिशानिर्देश Guidelines for operation of TNCGS

I. भूमिका INTRODUCTION

1. शीर्षक और शुरुआत की तिथि Title and date of commencement

1) इस योजना को एमएसएमई विनिर्माण इकाइयों के लिए तमिलनाडु क्रेडिट गारंटी योजना (टीएनसीजीएस) के रूप में जाना जाएगा, और इसे सीजीटीएमएसई और तमिलनाडु सरकार के सहयोग से लागू किया जाएगा।
The Scheme shall be known as the Tamil Nadu Credit Guarantee Scheme (TNCGS) for MSME manufacturing units, and it is implemented in collaboration with CGTMSE and Government of Tamil Nadu (GoTN), as appropriate.

2) यह योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा एकल आधार पर अगस्त 2022 से पायलट मोड पर लागू की गई है और सीजीटीएमएसई के सहयोग से जनवरी 2023 से पूर्ण पैमाने पर संचालित होगी। योजना सीजीटीएमएसई के सहयोग से या तमिलनाडु द्वारा एकल आधार पर उन मामलों के लिए संचालित हो सकती है जो अन्यथा सीजीटीएमएसई के तहत पात्र नहीं हैं।

The Scheme is implemented on a pilot mode from August 2022 on standalone basis by Govt of TN and shall operate on full-scale from January 2023 in collaboration with CGTMSE. The Scheme can operate in collaboration with CGTMSE or on standalone basis by GoTN for the cases otherwise not eligible under CGTMSE.

2. परिभाषाएँ Definitions

इस योजना का उद्देश्य For the purposes of this Scheme –

1) "चूक राशि" का अर्थ है सावधि ऋण के संबंध में उधारकर्ता के खाते में बकाया मूलधन और ब्याज की राशि और खाते के एनपीए बनने की तिथि पर बकाया कार्यशील पूंजी सुविधाओं (ब्याज सहित) की राशि, या दावा आवेदन दाखिल करने की तारीख, जो भी पहले हो या ऐसी कोई अन्य तारीख जो गारंटी कवर के प्रति किसी

भी दावे को प्राथमिकता देने के लिए सीजीटीएमएसई द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है जो अधिकतम गारंटीकृत राशि के अधीन हो।

"Amount in Default" means the principal and interest amount outstanding in the account(s) of the borrower in respect of term loan and amount of outstanding working capital facilities (including interest), as on the date of the account becoming NPA, or the date of lodgment of claim application whichever is lower or such other date as may be specified by CGTMSE for preferring any claim against the guarantee cover subject to a maximum of amount guaranteed.

2) "संपार्श्विक प्रतिभूति" का अर्थ किसी उधारकर्ता को ऋण देने वाली संस्था द्वारा दी गई ऋण सुविधा के संबंध में प्राथमिक प्रतिभूति के अतिरिक्त प्रदान की गई प्रतिभूति है।

"Collateral Security" means the security provided in addition to the primary security, in connection with the credit facility extended by a lending institution to a borrower.

3) "ऋण सुविधा" का अर्थ है ऋणदात्री संस्था द्वारा सावधि ऋण और/या फंड आधारित और गैर-फंड आधारित कार्यशील पूंजी (जैसे, कार्यशील पूंजी के हिस्से के रूप में बैंक गारंटी, क्रेडिट पत्र आदि) सुविधाओं के माध्यम से दी गई कोई भी वित्तीय सहायता। पात्र उधारकर्ता गारंटी शुल्क की गणना के प्रयोजन के लिए, "विस्तारित ऋण सुविधा" का अर्थ ऋणदात्री संस्था द्वारा उधारकर्ता को दी गई वित्तीय सहायता की राशि होगी, चाहे संवितरित की गई हो या नहीं। गारंटी शुल्क की गणना के प्रयोजन के लिए, विस्तारित क्रेडिट सुविधा का मतलब सीजीटीएमएसई के एमसीजीएस के तहत कवर की गई क्रेडिट सुविधाएं (फंड और गैर-फंड आधारित दोनों) होगा और जिसके लिए संबंधित गारंटी शुल्क का भुगतान संगत वर्ष **31** मार्च तक किया गया है। यह तमिलनाडु सरकार द्वारा एकल आधार पर कवर किए गए उन मामलों पर लागू होता है, जहां तमिलनाडु क्रेडिट गारंटी योजना के तहत कवर की गई क्रेडिट सुविधा के लिए कोई गारंटी शुल्क लागू नहीं है।

"Credit Facility" means any financial assistance by way of term loan and/ or fund based working capital (e.g., overdraft facility as a part of working capital) facilities extended by the lending institution to the eligible borrower. For the purpose of calculation of guarantee fee, the "credit facility extended" shall mean the amount of financial assistance committed by the lending institution to the borrower, whether disbursed or not. For the purpose of the calculation of guarantee fee, the credit facility extended shall mean the credit facilities covered under CGS of CGTMSE and for which guarantee fee has been paid, as of March 31st, of the relevant year. This applies for cases covered on standalone basis by GoTN even where no guarantee fee is applicable for credit facility covered under TNCGS**.**

4) "योग्य उधारकर्ता" का अर्थ नए या मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यम हैं, जिन्हें ऋणदात्री संस्था द्वारा किसी संपार्श्विक सुरक्षा और/या तीसरे पक्ष की गारंटी के साथ या उसके बिना ऋण सुविधा प्रदान की गई है।

"**Eligible Borrower"** means new or existing Micro, Small and Medium Manufacturing Enterprises to which credit facility has been provided by the lending institution with or without any collateral security and/ or third-party guarantees.

सीजीटीएमएसई द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूति (ग़ैर प्रतिभू हिस्सा) द्वारा कवर न की गई ऋण सुविधा के भाग के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति वाली ऋण सुविधाओं पर गारंटी कवर की अनुमति देने वाला हाइब्रिड/आंशिक संपार्श्विक प्रतिभूति उत्पाद भी शुरू किया गया है। आंशिक संपार्श्विक प्रतिभूति मॉडल में, एमएलआई को क्रेडिट सुविधा के एक हिस्से के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी, जबकि क्रेडिट सुविधा के शेष हिस्से को सीजीटीएमएसई की क्रेडिट गारंटी योजना के तहत कवर किया जा सकता है।

"Hybrid / Partial Collateral Security" product allowing guarantee cover on credit facilities having collateral security, for the portion of credit facility not covered by collateral security (unsecured portion), has also been introduced by CGTMSE. In the partial collateral security model, the MLIs will be allowed to obtain collateral security for a part of the credit facility, whereas the remaining part of the credit facility, can be covered under Credit Guarantee Scheme of CGTMSE.

5) 'गारंटी कवर' का अर्थ है ऋणदात्री संस्था द्वारा दी गई क्रेडिट सुविधा के संबंध में प्रति पात्र उधारकर्ता के लिए डिफ़ॉल्ट राशि का अधिकतम उपलब्ध कवर।

'Guarantee Cover' means maximum cover available per eligible borrower of the amount in default in respect of the credit facility extended by the lending institution.

6) ऋणदात्री संस्थाओं" का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, **1934** की दूसरी अनुसूची में शामिल एक वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एनबीएफसी, न्यू एज फिन-टेक एनबीएफसी, अनुसूचित शहरी सह-सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक या कोई अन्य ऋणदात्री संस्था, जोकि ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया हो, या कोई अन्य संस्था जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया हो। ट्रस्ट कार्य निष्पादन की समीक्षा पर, किसी भी ऋणदात्री संस्था को पात्र संस्था की सूची से हटा सकता है। टीएनसीजीएस के तहत तमिलनाडु सरकार द्वारा एकल आधार पर कवर किए गए मामलों के लिए टीएआईसीओ बैंक और टीआईआईसी भी पात्र ऋणदात्री संस्थाएं हैं।

"Lending Institution(s)" [LI] means a commercial bank for the time being included in the second Schedule to the Reserve Bank of India Act,1934, Regional Rural Banks, NBFCs, New Age Fin-Tech NBFCs, Scheduled Urban Co-operative Banks and Small Finance Banks as may be specified by the Trust from time to time, or any other institution(s) as may be directed by the Govt. of India from time to time. The Trust may, on review of performance, remove any of the lending institutions from the list of eligible institution. For cases covered on standalone basis by Govt. of TN under

TNCGS, TAICO Bank and TIIC are also eligible lending institutions.

7) **विनिर्माण एमएसएमई इकाइयों का अर्थ है** उद्योग (विकसित और विनियमन) अधिनियम 1951 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग के लिए माल के निर्माण या उत्पादन में लगी एमएसएमई इकाइयां। इसमें विशेष रूप से बिल छूट/प्राप्य निधि, व्यापार और सेवा गतिविधियों को शामिल नहीं किया गया है।

Manufacturing MSME Units means MSME Units engaged in the manufacture or production of goods to any industry specified in the first schedule to the industries (Developed and Regulation) Act 1951. This specifically excludes bill discounting/ receivables funding, trading, and service activities**.**

8) **भौतिक तिथि"** का अर्थ वह तिथि है जिस दिन पात्र उधारकर्ता के संबंध में कवर की गई राशि पर वार्षिक गारंटी शुल्क टीएनसीजीएस के तहत सदस्य ऋण देने वाली संस्था द्वारा ट्रस्ट को भुगतान/जमा किया जाता है। तमिलनाडु सरकार द्वारा एकल आधार पर कवर किए गए मामलों के लिए जहां टीएनसीजीएस के तहत कवर की गई ऋण सुविधा के लिए कोई गारंटी शुल्क लागू नहीं है**,** सामग्री तिथि उसके पोर्टल पर सीजीटीएमएसई द्वारा गारंटी के अनुमोदन की तिथि होगी।
"Material Date" means the date on which the annual guarantee fee on the amount covered in respect of eligible borrower is paid / credited to the Trust by the Member lending institution under the TNCGS**.** For the cases covered on standalone basis by GoTN where no guarantee fee is applicable for credit facility covered under TNCGS the Material date will be the date of approval of guarantee by CGTMSE on its portal.

9) **अनर्जक आस्ति" का अर्थ** भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों के आधार पर अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति है।
Non-Performing Assets" means an asset classified as a non-performing based on the instructions and guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time.

10) ऋण सुविधा के संबंध में **"प्राथमिक प्रतिभूति"** का अर्थ इस प्रकार विस्तारित ऋण सुविधा से बनाई गई संपत्ति और/या मौजूदा भार रहित संपत्तियां होंगी जो सीधे उस परियोजना या व्यवसाय से जुड़ी हैं जिसके लिए ऋण सुविधा दी गई है।
"Primary Security" in respect of a credit facility shall mean the assets created out of the credit facility so extended and/or existing unencumbered assets which are directly associated with the project or business for which the credit facility has been extended.

11) **संपत्ति स्वामित्व विवरण का अर्थ** है उधारकर्ता के नाम पर भूमि संपत्ति (एकमात्र मालिक, साझेदारी/सीमित देयता साझेदारी के मामले में प्रत्येक भागीदार, ट्रस्ट के मामले में प्रत्येक ट्रस्टी, हिन्दू अविभक्त परिवार के मामले में कर्ता और सहदायिक और प्रत्येक) प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के मामले में प्रमोटर निदेशक) और संपार्श्विक प्रतिभूति के मालिक।

Property Ownership details means land property in the name of the borrower (the sole proprietor, each of the partners in case of partnership/ limited liability partnership, each of the trustees in case of trust, the Karta and coparceners in case of HUF and each of the promoter directors in case of private public limited companies) and the owner of the collateral security.

12) "**योजना" का अर्थ** तमिलनाडु क्रेडिट गारंटी योजना (टीएनसीजीएस) है। यह योजना सीजीटीएमएसई के सहयोग से या तमिलनाडु सरकार द्वारा एकल आधार पर निम्नानुसार संचालित होगी:

"Scheme" means Tamil Nadu Credit Guarantee Scheme (TNCGS)**.** The Scheme shall operate in collaboration with CGTMSE or on Standalone basis by GoTN as under:

a. जब योजना सीजीटीएमएसई के सहयोग से संचालित की जाती है तो प्रति उधारकर्ता को ₹500 लाख तक की वित्तीय सहायता कवर की जाएगी।

When the Scheme is operated in collaboration with CGTMSE the financial assistance of up to ₹500 lakh per borrower shall be covered.

b. जब यह योजना उन मामलों के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा एकल आधार पर संचालित की जाती है जो अन्यथा सीजीटीएमएसई के सीजीएस के तहत कवरेज के लिए पात्र नहीं हैं, तो ₹40 लाख तक की वित्तीय सहायता कवर की जाएगी।

When the Scheme is operated on standalone basis by GoTN for the cases which are otherwise not eligible for coverage under CGS of CGTMSE, the financial assistance of up to ₹40 lakh shall be covered.

13) "**सिडबी" का** अर्थ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है**,** जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम**, 1989 (1989** का **39)** के तहत स्थापित किया गया है। **"SIDBI"** means the Small Industries Development Bank of India, established under Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of1989).

एमएसएमई का मतलब एक उद्यम है जिसे निम्नानुसार परिभाषित और वर्गीकृत किया गया है:

MSME means an enterprise defined and classified as follows:

(i) एक सूक्ष्म उद्यम जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश ₹1 करोड़ (केवल एक करोड़ रुपये) से अधिक नहीं है और टर्नओवर ₹5 करोड़ (केवल पांच करोड़ रुपये) से अधिक नहीं है।
A Micro enterprise where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed ₹1 crore (Rupees one crore only) and turnover does not exceed ₹5 crore (Rupees five crore only).

(ii) एक लघु उद्यम जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश ₹10 करोड़ (केवल दस करोड़ रुपये) से अधिक नहीं है और टर्नओवर ₹50 करोड़

(केवल पचास करोड़ रुपये) से अधिक नहीं है।

A Small enterprise where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed ₹10 crore (Rupees ten crore only) and turnover does not exceed ₹50 crore (Rupees fifty crore only).

(iii) एक मध्यम उद्यम जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश ₹50 करोड़ (केवल पचास करोड़ रुपये) से अधिक नहीं है और टर्नओवर ₹250 करोड़ (केवल दो सौ पचास करोड़ रुपये) से अधिक नहीं है, जैसा कि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में समय -समय पर हुए मौजूदा संशोधन को 01.07.2020 से प्रभावी होने के लिए स्वीकार किया गया है।

A Medium enterprise where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed ₹50 crore (Rupees fifty crore only) and turnover does not exceed ₹250 crore (Rupees two hundred fifty crore only) as accepted to be in effect from 01.07.2020 under the MSMED Act, 2006 as per extant amendment/modification to the same under the said Act from time to time.

टीएनसीजीएस के प्रयोजन के लिए, उपरोक्त परिभाषा केवल विनिर्माण इकाइयों से संबंधित है।

For the purpose of TNCGS, the above definition relates to manufacturing units only.

14) "**गारंटी कवर की अवधि**" का अर्थ गारंटी मंजूरी तिथि से गारंटी कवर की अधिकतम अवधि है जो सावधि ऋण के सहमत कार्यकाल के दौरान और गारंटी प्रारंभ तिथि से **5** साल की अवधि या **5** साल के ब्लॉक के लिए होगा,जहां केवल कार्यशील पूंजी सुविधाएं बढ़ाई जाती है या ऋण समाप्ति तिथि**,** जो भी पहले हो या ऐसी अवधि जो ट्रस्ट द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।

"Tenure of Guarantee cover" means the maximum period of guarantee cover from Guarantee sanction date which shall run through the agreed tenure of the term credit and for a period of 5 years or block of a 5 years from Guarantee start date where working capital facilities alone are extended or loan termination date, whichever is earlier or such period as may be specified by the Trust.

15) **"ट्रस्ट"** का अर्थ है भारत सरकार और सिडबी द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए स्थापित क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट**,** जिसका उद्देश्य पात्र उधारकर्ताओं को ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली क्रेडिट सुविधाओं की गारंटी देना है। इसका मतलब टीएनसीजीएस भी होगा**,** जब भी तमिलनाडु सरकार द्वारा टीएनसीजीएस के लिए की गई संस्थागत व्यवस्था अंततः**,** जब भी स्थापित की जाएगी**,** प्रासंगिक होगी।

"Trust" means the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises set up by Government of India and SIDBI with the purpose of guaranteeing credit facility(ies), extended by the lending institution(s) to the eligible borrowers. It also will mean TNCGS, whenever the institutional arrangement made by Government of Tamil Nadu for TNCGS eventually, whenever it is set up, whenever relevant.

16) "**तृतीय पक्ष गारंटी"** का अर्थ है एकल स्वामित्व वाली संस्था के मामले में एकल-

मालिक, साझेदारी/सीमित देयता भागीदारी के मामले में साझेदार, ट्रस्टी को छोड़कर किसी सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा किसी उधारकर्ता को दी गई ऋण सुविधा के संबंध में प्राप्त की गई कोई भी गारंटी। ट्रस्ट के मामले में, एचयूएफ के मामले में कर्ता और कंपनी के साझेदार और निजी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के मामले में प्रमोटर निदेशक और हाइब्रिड/आंशिक संपार्श्विक प्रतिभूति मॉडल के तहत गारंटी के मामले में अचल संपत्ति के मालिक हैं।

"Third Party Guarantee" means any guarantee obtained by a Member Lending Institution in connection with the credit facility extended by it to a borrower except from Sole-Proprietor in case of Sole Proprietary concern, Partners in case of partnership / limited liability partnership, Trustees in case of Trust, Karta & Co parceners in case of HUF and promoter directors in case of private/ public limited companies and owner of the immovable property in case of guarantee under Hybrid / Partial collateral security model.

17) पोर्टफोलियो" का अर्थ ऋणदात्री संस्था द्वारा उधारकर्ता को प्रदान की गई ऋण सुविधा का संचयी संचय है जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में क्रिस्टलीकृत हो जाएगा। इसमें सावधि ऋण और/या फंड आधारित कार्यशील पूंजी (उदाहरण के लिए, कार्यशील पूंजी के हिस्से के रूप में ओवरड्राफ्ट सुविधा) के माध्यम से वित्तीय सहायता शामिल है।
"Portfolio" means the cumulative built up of credit facility extended by the lending institution to the borrower which shall get crystallized at the end of each financial year. This includes financial assistance by way of term loan and/ or fund based working capital (e.g., overdraft facility as part of working capital)

18) "पोर्टफोलियो के क्रिस्टलीकरण की तिथि" उस वित्तीय वर्ष के अंत में होगी जिसमें पोर्टफोलियो बनाया गया है और गारंटी कवर जारी किया गया है।
"Date of Crystallization of the Portfolio" would be at the end of the financial year in which the portfolio is built up and the guarantee cover is issued.

II. SCOPE AND EXTENT OF THE SCHEME योजना का दायरा और सीमा

3. ट्रस्ट द्वारा गारंटियाँ Guarantees by the Trust

(i) योजना के अन्य प्रावधानों के अधीन, ट्रस्ट एक पात्र संस्था द्वारा समय-समय पर पात्र उधारकर्ता को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के संबंध में गारंटी प्रदान करने का कार्य करता है, जिसने ट्रस्ट के साथ उक्त ऋण सुविधाओं के संदर्भ में गारंटी के उद्देश्य के लिए आवश्यक करार निष्पादित किया है।
Subject to the other provisions of the Scheme, the Trust undertakes, in relation to credit facilities extended to an eligible borrower from time to time by an

eligible institution which has entered into the necessary agreement for this purpose with the Trust, to provide a guarantee on account of the said credit facilities.

(ii) ट्रस्ट के पास ऋण देने वाली संस्था द्वारा संदर्भित किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार है जो अन्यथा योजना के मानदंडों को पूरा करता है।
The Trust reserves the discretion to accept or reject any proposal referred by the lending institution which otherwise satisfies the norms of the Scheme.

4. योजना के तहत पात्र ऋण सुविधाएँ Credit facilities eligible under the Scheme

ट्रस्ट, ऋण सुविधा के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में एकल पात्र उधारकर्ता को सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधाओं को कवर करेगा।
The Trust shall cover credit facilities extended by Member Lending Institution(s) to a single eligible borrower in the Micro, Small and Medium Enterprises sector for credit facility

1) संपार्श्विक प्रतिभूति के साथ या उसके बिना टीएनसीजीएस के तहत तमिलनाडु सरकार बिना सीजीटीएमएसई के सहयोग के एकल कवरेज के लिए ₹40 लाख से अधिक राशि के लिए गारंटी कवरेज नहीं होगा और जहां टीएनसीजीएस सीजीटीएमएसई के साथ परस्पर सहयोग में है तो कवरेज निम्नानुसार होगा।
Not exceeding ₹40 lakh for standalone coverage by GoTN (without collaboration with CGTMSE) under TNCGS with or without collateral security and as follows when TNCGS collaborates with CGTMSE.
2) ट्रस्ट के साथ करार करने पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, चुनिंदा वित्तीय संस्थाएँ, ₹500 लाख से अधिक नहीं या उसके बाद सावधि ऋण और/या कार्यशील पूंजी सुविधाओं के माध्यम से, जैसा कि ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, गारंटी कवर ले सकती हैं।
Not exceeding ₹500 lakh (Scheduled Commercial Banks, select Financial Institutions, by way of term loan and/or working capital facilities on or after entering into an agreement with the Trust, as may be revised by the Trust from time to time.
3) लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), सहकारी बैंकों के लिए गारंटी कवर ₹200 लाख से अधिक नहीं, या जैसा कि समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा संशोधित किया जाए।
Not exceeding ₹200 lakh for Small Finance Banks (SFBs), Co-operative Banks, as may be revised by the Trust from time to time.
4) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए गारंटी कवर ₹50 लाख से अधिक नहीं, या जैसा कि समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा संशोधित किया जाए।
Not exceeding ₹50 lakh for Regional Rural Banks, as may be revised by the Trust from time to time.

सीजीटीएमएसई के हाइब्रिड मॉडल के तहत कवरेज भी पात्र है
Coverage under Hybrid model of CGTMSE is also eligible.

बकाया ऋण सुविधाओं के आधार पर प्रति उधारकर्ता की अधिकतम गारंटी कवरेज

सीमा ₹500 लाख है और उधारकर्ता सीजीटीएमएसई की क्रेडिट गारंटी योजना के तहत वृद्धिशील क्रेडिट सुविधाओं (यानी बकाया एक्सपोजर सीमा में कमी की सीमा तक) का लाभ उठा सकते हैं जिसकी अधिकतम सीमा ₹500 लाख है।

The cap of ₹500 lakh is the maximum guarantee coverage limit per borrower based on the outstanding credit facilities and the borrowers can avail incremental credit facilities (i.e. to the extent of reduction in the outstanding exposure limit) under Credit Guarantee Scheme of CGTMSE, subject to maximum cap of ₹500 lakh.

बशर्ते कि, भौतिक तिथि के अनुसा टीएनसीजीएस के लिए पायलट को छोड़कर :

Provided further that, except for the pilot for TNCGS, as on the material date:

(i) एमएलआई के बही- खातों में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण सुविधा मानक और नियमित (एसएमए नहीं) है; और/या

Credit facility is standard and regular (not SMA) as per RBI guidelines in the books of the MLI; and /or

(ii) उधारकर्ता का व्यवसाय या गतिविधि जिसके लिए ऋण सुविधा प्रदान की गई थी, बंद नहीं हुई है; और/या

The business or activity of the borrower for which the credit facility was granted has not ceased; and / or

(iii) ट्रस्ट से इस संबंध में पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना, किसी भी खराब या संदिग्ध वसूली वाले ऋण के समायोजन के लिए क्रेडिट सुविधा का पूर्ण या आंशिक रूप से उपयोग नहीं किया गया है।

The credit facility has not wholly or partly been utilized for adjustment of any debt deemed bad or doubtful of recovery, without obtaining prior consent in this regard from the Trust.

गैर-विनिर्माण इकाइयां टीएनसीजीएस के तहत कवरेज के लिए पात्र नहीं

Non-manufacturing units shall not be eligible for coverage under TNCGS.

हाइब्रिड प्रतिभूति " उत्पाद के तहत, एमएलआई को क्रेडिट सुविधा के एक हिस्से के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त करने की अनुमति है, जबकि क्रेडिट सुविधा का शेष हिस्सा, अधिकतम ₹500 लाख तक, टीएनसीजीएस के तहत कवर किया जा सकता है। हालाँकि, सीजीटीएमएसई विस्तारित ऋण सुविधाओं के लिए उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई संपार्श्विक प्रतिभूति पर काल्पनिक द्वितीय प्रभार होगा। हाइब्रिड प्रतिभूति उत्पाद के तहत, एमएलआई को कानूनी दस्तावेज के माध्यम से सीजीटीएमएसई के पक्ष में प्रतिभूति /प्रभार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

Under “Hybrid Security” product, the MLIs are allowed to obtain collateral security for a part of the credit facility, whereas the remaining part of the credit facility, upto a maximum of ₹500 lakh, can be covered under TNCGS. CGTMSE will, however, have notional second charge on the collateral security provided by the borrower for the credit facilities extended. Under the hybrid security product, there is no requirement for MLIs to create

security/charge in favour of CGTMSE by way of legal documentation.

सीजीटीएमएसई के तहत उधारकर्ता के कुल एक्सपोजर और खाते की स्थिति (एनपीए/मानक) की जानकारी एमएलआई को उपलब्ध कराई जाती है। पाथ: एमएलआई लॉगिन >> रिपोर्ट और एमआईएस >> सर्च हिस्ट्री >> इकाई के मुख्य प्रवर्तक का आईटी पैन नंबर दर्ज करें।

The information on total exposure of the borrower under CGTMSE and status of the account (NPA/Standard) are made available to the MLIs. Path: MLI Login>> Reports & MIS>> Search History>> Enter IT PAN number of the chief promoter of the unit.

टीएनसीजीएस के तहत कवर किए गए प्रत्येक ऋण के लिए मंजूरी की तारीख, आदि वास्तविक समय में डेटा कैप्चर करने का प्रावधान किया जाएगा। टीएनसीजीएस कवरेज के तहत ऋण अर्हता प्राप्त करने के लिए टीएनसीजीएस में सख्त वैकल्पिक पात्रता फिल्टर होंगे, ताकि टीएनसीजीएस के तहत कोई स्वचालित कवरेज न हो।

Provision will be made to capture real time data viz. date of sanction, etc. for each loan covered under TNCGS. The TNCGS shall have strict elective eligibility filters to qualify a loan under TNCGS coverage such that there would be no automatic coverage under TNCGS.

5. योजना के अंतर्गत ऋण सुविधाएं पात्र नहीं हैंCredit facilities not eligible under the Scheme

निम्नलिखित ऋण सुविधाएं योजना के तहत गारंटी के लिए पात्र नहीं होंगी:

The following credit facilities shall not be eligible for being guaranteed under the Scheme:

(i) गैर-विनिर्माण इकाइयों के लिए और बिलों में छूट/प्राप्य क्रेडिट सुविधाओं के लिए स्वीकृत कोई भी क्रेडिट सुविधा।

Any credit facility sanctioned for non-manufacturing units and towards bills discounting / receivables credit facilities.

(ii) ऐसी कोई भी ऋण सुविधा जिसके संबंध में जोखिम अतिरिक्त रूप से जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित/प्रशासित योजना के तहत जिस सीमा तक वे कवर किए गए हैं।

Any credit facility in respect of which risks are additionally covered under a scheme operated / administered by Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation or the Reserve Bank of India, to the extent they are so covered.

(iii) ऐसी कोई भी ऋण सुविधा जिसके संबंध में जोखिम सरकार या किसी सामान्य बीमाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति या बीमा, गारंटी या क्षतिपूर्ति का व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के संघ द्वारा अतिरिक्त रूप से जिस सीमा तक वे कवर किए जाते हैं।

Any credit facility in respect of which risks are additionally covered by Government or by any general insurer or any other person or association of persons carrying on the business of insurance, guarantee or

indemnity, to the extent they are so covered.

(iv) यदि ऐसे प्रस्तावों के लिए गारंटी कवर के लिए आवेदन करते समय एनसीजीटीसी लिमिटेड के माध्यम से मुद्रा गारंटी योजना के तहत उक्त क्रेडिट सुविधा को कवर किया गया है, तो सूक्ष्म उद्यमों को ₹10 लाख तक के ऋण के लिए कोई भी ऋण सुविधा इस योजना के तहत कवर करने के लिए पात्र नहीं होगी।
Any Credit facility for loans upto ₹10 lakh to Micro Enterprises shall not be eligible to be covered under the Scheme if the said credit facility has been covered under MUDRA Guarantee Scheme through NCGTC Ltd. while applying for the guarantee cover for such proposals.

(v) ऐसी कोई भी ऋण सुविधा, जो किसी भी कानून के प्रावधानों, या केंद्र सरकार या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशा-निर्देश या निर्देश के अनुरूप नहीं है, या किसी भी तरह से असंगत है, जो कि अभी लागू हो।
Any credit facility, which does not conform to, or is in any way inconsistent with, the provisions of any law, or with any directives or instructions issued by the Central Government or the Reserve Bank of India, which may, for the time being, be in force.

(vi) किसी उधारकर्ता को दी गई कोई ऋण सुविधा, जिसने इस योजना के तहत या ऊपर खंड (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित योजनाओं के तहत कवर की गई किसी अन्य ऋण सुविधा का लाभ उठाया है, और जहां ऋणदात्री संस्था ने ट्रस्ट द्वारा प्रदान की गई गारंटी या ऊपर खंड (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित योजनाओं के तहत प्रदान की गई गारंटी का उपयोग किया है, लेकिन ट्रस्ट को देय राशि का कोई भी हिस्सा या ऊपर खंड (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित योजनाओं के तहत, जैसा भी मामला हो, उस ऋण सुविधा के संबंध में उधारकर्ता की ओर से किसी चूक के कारण भुगतान नहीं किया गया है।
Any credit facility granted to any borrower, who has availed himself of any other credit facility covered under this scheme or under the schemes mentioned in clause (i), (ii) and (iii) above, and where the lending institution has invoked the guarantee provided by the Trust or under the schemes mentioned in clause (i), (ii) and (iii) above, but has not repaid any portion of the amount due to the Trust or under the schemes mentioned in clause (i), (ii) and (iii) above, as the case may be, by reason of any default on the part of the borrower in respect of that credit facility.

(vii) ऐसी कोई भी ऋण सुविधा जो ऋणदात्री संस्था द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूति और/या तृतीय-पक्ष गारंटी के बाद स्वीकृत की गई हो। हालाँकि, हाइब्रिड प्रतिभूति मॉडल की शुरुआत के बाद एमएलआई सीजीटीएमएसई के तहत ऋण सुविधा के अप्रतिभूत हिस्से को ₹500 लाख के समग्र एक्सपोजर तक कवर कर सकते हैं।
Any credit facility which has been sanctioned by the lending institution against collateral security and/or third-party guarantee. However, after the introduction of Hybrid Security model MLIs can cover the unsecured part of the credit facility(ies) under CGTMSE upto to the overall exposure of ₹500 lakh.

6. ऋणदात्री संस्था द्वारा निष्पादित किया जाने वाला करार Agreement to be executed by the lending institution

एक ऋणदात्री संस्था उसके द्वारा दी गई किसी भी पात्र ऋण सुविधा के संबंध में गारंटी की हकदार नहीं होगी, जब तक कि उसने ट्रस्ट के साथ इस तरह का करार निष्पादित न किया हो, जैसा कि ट्रस्ट द्वारा योजना के तहत गारंटी के रूप में कवर करने के लिए आवश्यक हो और जिसके लिए योजना के अंतर्गत ऋणदात्री संस्था द्वारा दी गई सभी पात्र ऋण सुविधाओं को कवर करने के लिए योजना में प्रावधान किया गया है।

A lending institution shall not be entitled to a guarantee in respect of any eligible credit facility granted by it unless it has entered into an agreement with the Trust in such form as may be required by the Trust for covering by way of guarantee, under the Scheme all the eligible credit facilities granted by the lending institution, for which provision has been made in the Scheme.

7. योजना के तहत ऋणदात्री संस्था के उत्तरदायित्व Responsibilities of lending institution under the scheme:

1) ऋण देने वाली संस्था विवेकपूर्ण बैंकिंग निर्णय का उपयोग करके क्रेडिट आवेदनों का मूल्यांकन करेगी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य प्रस्तावों का चयन करने में अपने व्यावसायिक विवेक/सम्यक सावधानी का उपयोग करेगी और सामान्य बैंकिंग विवेक के साथ उधारकर्ताओं के खाते का परिचालन करेगी।

The lending institution shall evaluate credit applications by using prudent banking judgment and shall use their business discretion / due diligence in selecting commercially viable proposals and conduct the account(s) of the borrowers with normal banking prudence.

2) ऋणदात्री संस्था उधारकर्ता खाते की बारीकी से निगरानी करेगी और टीएनसीजीएस द्वारा अपेक्षित आवृत्ति पर ऐसे डेटा को टीएनसीजीएस को उपलब्ध कराएगी। ऋणदात्री संस्था को टीएनसीजीएस के तहत कवरेज के लिए पूर्व शर्त के रूप में तमिलनाडु सरकार को संपत्ति के स्वामित्व का विवरण उपलब्ध कराना होगा। गारंटी कवरेज बढ़ाने से पहले टीएनसीजीएस इसे सत्यापित करेगा। ऋणदात्री संस्था ऋण सुविधा के संबंध में उधारकर्ता से ली गई प्राथमिक प्रतिभूतियों को अच्छी और प्रवर्तनीय स्थिति में सुरक्षित रखेगी।

The lending institution shall closely monitor the borrower account and make such data available to TNCGS at a frequency as required by TNCGS. The LI's have to make available property ownership details to GoTN as a pre-condition for coverage under the TNCGS. TNCGS shall verify the same before extending guarantee coverage. The lending institution shall safeguard the primary securities taken from the borrower in respect of the credit facility in good and enforceable condition.

3) ऋणदात्री संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि ऋण सुविधा और उधारकर्ता के संबंध में गारंटी का दावा ट्रस्ट के पास फॉर्म में और तरीके से और ऐसे समय के भीतर दर्ज किया जाए जो ट्रस्ट द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया गया हो और उधारकर्ता के खाते में चूक को अधिसूचित करने में उसकी ओर से कोई देरी न हो जिसके परिणामस्वरूप ट्रस्ट को उच्च गारंटी दावों का सामना करना पड़े।

The lending institution shall ensure that the guarantee claim in respect of the credit facility and borrower is lodged with the Trust in the form and in the manner and within such time as may be specified by the Trust in this behalf and that there shall not be any delay on its part to notify the default in the borrowers account which shall result in the Trust facing higher guarantee claims.

4) ट्रस्ट द्वारा ऋणदात्री संस्था को गारंटी दावे का भुगतान किसी भी तरह से उधारकर्ता से ऋण की पूरी बकाया राशि वसूल करने की ऋणदात्री संस्था की जिम्मेदारी को नहीं हटाता। ऋणदात्री संस्था सभी आवश्यक सावधानियां बरतेगी और उधारकर्ता को उसके द्वारा दी गई ऋण सुविधा की पूरी राशि की वसूली लिए अपना प्रयत्न जारी रखेगी और बकाया राशि की वसूली के लिए ऐसी आवश्यक कार्रवाई शुरू करेगी, जिसमें ट्रस्ट द्वारा निर्देश दी गयी कार्रवाई भी शामिल है।

The payment of guarantee claim by the Trust to the lending institution does not in any way take away the responsibility of the lending institution to recover the entire outstanding amount of the credit from the borrower. The lending institution shall exercise all the necessary precautions and maintain its recourse to the borrower for entire amount of credit facility owed by it and initiate such necessary actions for recovery of the outstanding amount, including such action as may be advised by the Trust.

5) ऋणदात्री संस्था के गारंटीकृत खाते में वसूली की सुविधा के लिए, या गारंटर के रूप में अपने हितों की रक्षा के लिए, ट्रस्ट जैसा उचित समझे, समय-समय उसके द्वारा जारी किए गए ऐसे निर्देशों का पालन ऋणदात्री संस्था को करना होगा और ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए ऋणदात्री संस्था बाध्य होगी।

The lending institution shall comply with such directions as may be issued by the Trust, from time to time, for facilitating recoveries in the guaranteed account, or safeguarding its interest as a guarantor, as the Trust may deem fit, and the lending institution shall be bound to comply with such directions.

6) ऋणदात्री संस्था, किसी भी गारंटीकृत खाते के संबंध में, बकाया राशि की वसूली करने और ट्रस्ट के हितों की रक्षा करने में उतनी ही तत्परता बरतेगी जितनी कि कोई गारंटी नहीं देने पर सामान्य प्रक्रिया में की जा सकती थी। ट्रस्ट द्वारा. ऋणदात्री संस्था, विशेष रूप से, गारंटी के आह्वान से पहले या बाद में किसी भी चूक या कमीशन के कार्य से परहेज करेगी, जो गारंटर के रूप में ट्रस्ट के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। विशेष रूप से, ऋणदात्री संस्था को किसी भी समझौते या व्यवस्था में प्रवेश करते समय ट्रस्ट को सूचित करना चाहिए, जिसका प्रभाव व्यक्तिगत गारंटी या प्रतिभूति के निर्वहन या छूट पर हो सकता है। ऋणदात्री संस्था यह भी सुनिश्चित करेगी कि वह ट्रस्ट को सूचित किए बिना किसी ऐसे खाते के लाभ के लिए गारंटी द्वारा कवर किए गए खाते में धारित प्रतिभूति पर कोई प्रभार सृजित नहीं करेगी जो गारंटी द्वारा कवर नहीं

किया गया है। इसके अलावा ऋणदात्री संस्था, ट्रस्ट या उसकी नियुक्त एजेंसी के लिए उधारकर्ता के साथ एक करार में एक शर्त के माध्यम से या अन्यथा, ट्रस्ट की वेबसाइट पर चूककर्ता उधारकर्ताओं के नाम और विवरण सूचीबद्ध करने का अधिकार सुरक्षित करेगी।

The lending institution shall, in respect of any guaranteed account, exercise the same diligence in recovering the dues, and safeguarding the interest of the Trust in all the ways open to it as it might have exercised in the normal course if no guarantee had been furnished by the Trust. The lending institution shall, in particular, refrain from any act of omission or commission, either before or subsequent to invocation of guarantee, which may adversely affect the interest of the Trust as the guarantor. In particular, the lending institution should intimate the Trust while entering into any compromise or arrangement, which may have effect of discharge or waiver of personal guarantee(s) or security. The lending institution shall also ensure either through a stipulation in an agreement with the borrower or otherwise, that it shall not create any charge on the security held in the account covered by the guarantee for the benefit of any account not covered by the guarantee, with itself or in favour of any other creditor(s) without intimating the Trust. Further the lending institution shall secure for the Trust or its appointed agency, through a stipulation in an agreement with the borrower or otherwise, the right to list the defaulted borrowers' names and particulars on the Website of the Trust.

8. वार्षिक गारंटी शुल्क Annual Guarantee Fee(AGF)

सीजीटीएमएसई गारंटी कवरेज के 75% हिस्से पर शुल्क लेगा और तमिलनाडु राज्य सरकार के अतिरिक्त गारंटी कवरेज के हिस्से पर शुरू में कोई शुल्क नहीं लगेगा। सीजीटीएमएसई द्वारा वार्षिक गारंटी शुल्क पहले वर्ष के लिए गारंटीकृत राशि पर और क्रेडिट सुविधाओं के शेष कार्यकाल के लिए बकाया राशि पर निम्नानुसार लगाया जाएगा:

CGTMSE would be charging fee on its share of 75% of guarantee coverage as and Tamil Nadu State Government's share of additional guarantee coverage will not have any fee to begin with. AGF will be charged on the amount guaranteed by CGTMSE for the first year and on the outstanding amount for the remaining tenure of the credit facilities as under:

वार्षिक शुल्क संरचना - मानक दर AGF Structure – Standard Rate (SR)

लागू शुल्क संरचना नीचे दी गई है (जोकि समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा संशोधित किया जा सकता है)The applicable Fee Structure is given below (as may be revised by the Trust from time to time)

स्लैब Slab	मानक दर Standard Rate (SR)*	छूट के बाद शुल्क दर Fee	जोखिम प्रीमियम के साथ शुल्क दर Fee Rate with Risk Premium

		Rate after Discount				
		(-10%)	15%	30%	50%	70%
0-10 लाख 0-10 lakh	0.37	0.33	0.43	0.48	0.56	0.63
10लाख से अधिक -50 लाख तक Above 10-50 lakh	0.55	0.50	0.63	0.72	0.83	0.94
50लाख से अधिक -1 करोड़ तक Above 50-1 crore	0.60	0.54	0.69	0.78	0.90	1.02
1करोड़ अधिक -2 करोड़ तक Above 1-2 crore	1.20	1.08	1.38	1.56	1.80	2.04
2 करोड़ से अधिक -5 करोड़ तक Above 2-5 crore	1.35	1.22	1.55	1.76	2.03	2.30

***एजीएफ पहले वर्ष के लिए गारंटीकृत राशि पर और क्रेडिट सुविधा के शेष कार्यकाल के लिए बकाया राशि पर लगाया जाएगा।*

बैंक से लिया जाने वाला जोखिम प्रीमियम/छूट सीजीएस I के तहत लागू है।

AGF will be charged on the guaranteed amount for the first year and on the outstanding amount for the remaining tenure of the credit facility.

The Risk premium/discount charged to the bank is as applicable under CGS I

उपर्युक्त के अलावा, निम्नलिखित श्रेणियां गारंटी शुल्क में अतिरिक्त रियायत/छूट के लिए पात्र हैं। विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

In addition to above, following Categories are eligible for additional concession / relaxation in guarantee fee. The details as given in the table below.

श्रेणी Category	**सामाजिक श्रेणी (कमजोर वर्ग / वंचित वर्ग)Social Category (Weaker Section/ Underserved Section)**	**भौगोलिक Geographic**	**एमएसई स्थिति MSE Status**
लक्ष्य समूह Target Group	महिला/एससी/एसटी/दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)/अग्निवीर Women/SC/ST / Person with disability (PwD)/ Agniveers	आकांक्षी ज़िले Aspirational District	जेड प्रमाणित ZED Certified
दर में छूट/रियायत Relaxation/ Concession in Rate	10%	10%	10%

एनबीएफसी के लिए शुल्क सीजीएस II *के तहत लागू होगा*
Fees for NBFCs will be is as applicable under CGS II

वार्षिक गारंटी शुल्क का भुगतान Payment of AGF

(i) वार्षिक गारंटी शुल्क (पहली बार शुल्क) का भुगतान गारंटी प्राप्त करने वाली वाले संस्था द्वारा क्रेडिट सुविधा के पहले संवितरण की तारीख से 30 दिनों के भीतर(कार्यशील पूंजी के लिए लागू नहीं) या गारंटी शुल्क मांग सूचना (सीजीडीएएन) की तारीख से 30 दिनों के भीतर, जो भी बाद में हो या ट्रस्ट द्वारा निर्दिष्ट तारीख से किया जाएगा।
Annual Guarantee fee (first time fee) shall be paid to the Trust by the institution availing of the guarantee within 30 days from the date of first disbursement of credit facility **(not applicable for Working capital)** or 30 days from the date of Demand Advice (CGDAN) of guarantee fee whichever is later ***or such date as specified by the Trust.***

(ii) वार्षिक गारंटी शुल्क (पहली बार शुल्क के बाद) निर्दिष्ट दर पर (जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट है) पहले और आखिरी वर्ष के लिए आनुपातिक आधार पर और बीच के वर्षों के लिए पूर्ण रूप से प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले सप्ताह तक निकाला जाएगा। इस प्रकार मांगी गई वार्षिक गारंटी शुल्क का भुगतान एमएलआई द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 मार्च या उससे पहले या प्रत्येक वर्ष सीजीटीएमएसई द्वारा किसी अन्य निर्दिष्ट तिथि को किया जाएगा।
The Annual Guarantee fee (subsequent to first time fee) at specified rate (as specified above) ***on pro-rata basis for the first and last year and in full for the intervening years*** would be generated by first week of February every year. AGF so demanded would be paid by the MLIs on or before 30th March each year or any other specified date by CGTMSE, of every year.

बशर्ते कि निर्धारित समय या ऐसे विस्तारित समय के भीतर वार्षिक सेवा / गारंटी शुल्क का भुगतान न किए जाने अथवा ऐसी शर्तों पर ट्रस्ट द्वारा सहमति किए गए विस्तारित समय की स्थिति में ऐसी ऋण सुविधा की गारंटी देने की ट्रस्ट की देयता उन ऋण सुविधा के संबंध में समाप्त हो जाएगी जिनके विरुद्ध सेवा प्रभार /शुल्क देय है और जिसका भुगतान नहीं किया गया है।
Provided further that in the event of non-payment of annual service / guarantee fee within the stipulated time or such extended time that may be agreed to by the Trust on such terms, liability of the Trust to guarantee such credit facility would lapse in respect of those credit facility against which the service charges / fee are due and not paid.

बशर्ते कि, ट्रस्ट ऐसी ऋण सुविधा के लिए गारंटी कवर के नवीनीकरण पर ऐसे नियमों और शर्तों पर विचार कर सकता है जो वह तय करे।

Provided further that, the Trust may consider renewal of guarantee cover for such of the credit facility upon such terms and conditions as the Trust may decide.

राशि की गणना में या गारंटी शुल्क/वार्षिक सेवा शुल्क की गणना में कोई त्रुटि या विसंगति या कमी पाए जाने की स्थिति में, ऐसी कमी/कमी का भुगतान योग्य ऋणदात्री संस्था द्वारा ट्रस्ट को ब्याज सहित किया जाएगा। ऐसी राशि बैंक दर से चार प्रतिशत अधिक या ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर दी जाएगी। यदि कोई भी राशि अधिक भुगतान की गई पाई गई तो उसे ट्रस्ट द्वारा वापस कर दिया जाएगा। इस संबंध में ऋणदात्री संस्था द्वारा किए गए किसी भी अभ्यावेदन की स्थिति में, ट्रस्ट अपने पास उपलब्ध जानकारी और ऋणदात्री संस्था से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णय लेगा, और उसका निर्णय अंतिम और ऋणदात्री संस्था पर बाध्यकारी होगा।

In the event of any error or discrepancy or shortfall being found in the computation of the amounts or in the calculation of the guarantee fee / annual service fee, such deficiency / shortfall shall be paid by the eligible lending institution to the Trust together with interest on such amount at a rate of four per cent over and above the Bank Rate, or as may be prescribed by the Trust from time to time. Any amount found to have been paid in excess would be refunded by the Trust. In the event of any representation made by the lending institution in this regard, the Trust shall take a decision based on the available information with it and the clarifications received from the lending institution, and its decision shall be final and binding on the lending institution.

(iii) पात्र ऋणदात्री संस्था द्वारा देय वार्षिक गारंटी शुल्क और/या सेवा शुल्क के बराबर राशि पात्र उधारकर्ता से अपने विवेक पर वसूल की जा सकती है।

The amount equivalent to the annual guarantee fee and / or the service fee payable by the eligible lending institution may be recovered by it, at its discretion from the eligible borrower.

ऋण देने वाली संस्था द्वारा ट्रस्ट को एक बार भुगतान किया गया वार्षिक गारंटी शुल्क और/या वार्षिक सेवा शुल्क कुछ परिस्थितियों को छोड़कर वापस नहीं किया जाएगा, जैसे -

The annual guarantee fee and / or annual service fee once paid by the lending institution to the Trust is non-refundable except under certain circumstances like –

- अधिक विप्रेषण Excess remittance,
- एक ही ऋण आवेदन के विरुद्ध एक से अधिक बार किया गया विप्रेषण,

- Remittance made more than once against the same credit application,
- वार्षिक गारंटी शुल्क और या वार्षिक सेवा शुल्क जो देय नहीं है,
- Annual Guarantee fee & or annual service fee not due,
- वार्षिक गारंटी शुल्क का अग्रिम भुगतान किया गया लेकिन योजना के तहत गारंटी कवर के लिए आवेदन स्वीकृत नहीं किया गया, आदि।
- Annual Guarantee fee paid in advance but application not approved for guarantee cover under the scheme, etc.
- प्री-क्लोजर/रिफंड के अनुरोध के मामले में, रिफंड ट्रस्ट के मौजूदा खंड के अनुसार है।
- In case of pre-closure / request for refund, the refund is as per the existing clause of the Trust.

भुगतान प्रक्रिया Payment Process

सीजीएस I के तहत लागू मौजूदा भुगतान प्रक्रिया
The existing payment process as applicable under CGS I

9. बंद खाते को पुनर्जीवित करना Revival of closed accounts

यदि एजीएफ का भुगतान न करने के कारण गारंटीकृत खाता बंद हो जाता है, तो योजना के तहत गारंटी उपलब्ध नहीं होगी और खातों के पुनर्जीवित /विलंबित भुगतान के अनुरोध पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन विचार किया जाएगा:

If the guaranteed account gets closed due to non-payment of AGF, the guarantee under the scheme shall not be available and request for revival of accounts/ delayed payment will be considered subject to the following conditions:

(i) खाते के पुनर्जीवन का अनुरोध अगले वित्तीय वर्ष के भीतर प्रस्तुत करना होगा।
Request for revival of account will have to be submitted within next financial year.

(ii) पुनर्जीवन के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने की तारीख तक खाता मानक और नियमित होना चाहिए और यदि खाता पुनर्जीवन की तारीख से 180 दिनों के भीतर एनपीए हो जाता है तो ट्रस्ट दावे को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

Account should be standard and regular as on date of submission of request for revival and the Trust reserves the right to reject the claim

if the account turns NPA within 180 days from the date of revival of account.

(iii) एमएलआई (वर्तमान और पिछले वित्तीय वर्ष) द्वारा देय कोई भी शुल्क दंडात्मक ब्याज (प्रति वर्ष बैंक दर से 4% अधिक) और अतिरिक्त जोखिम प्रीमियम मानक दर के 15% की दर से या ट्रस्ट द्वारा विलंब की अवधि के लिए समय-समय पर निर्दिष्ट दरों पर मांगा जाएगा।

Any fee due by the MLI (current and previous FY) will be demanded along with penal interest (@ 4% over Bank Rate, per annum) and additional risk premium @15% of standard rate or at such rates specified by the Trust from time to time, for the period of delay.

पुनर्जीवन के लिए उपर्युक्त दिशानिर्देश समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा संशोधन के अधीन हैं, प्रचलित दिशानिर्देश लागू होंगे।

The above guidelines for revival are subject to modification by the Trust from time to time, The prevailing guidelines would be applied.

III. GUARANTEE गारंटी

12. गारंटी कवरेज की सीमा Extent of the Guarantee Coverage

टीएनसीजीएस के तहत गारंटी कवरेज एमएसएमई विनिर्माण इकाइयों के लिए निम्नानुसार पात्र है:The Guarantee Coverage under TNCGS is eligible for MSME manufacturing units as follows:

एकल उधारकर्ता की श्रेणी और गारंटी कवरेज सीमा **Category and Guarantee Coverage ceiling Limit of single borrower**	प्रत्येक क्रेडिट सुविधा के लिए डिफ़ॉल्ट राशि की गारंटी कवरेज की अधिकतम सीमा, क्रिस्टलीकृत पोर्टफोलियो के **10%** की सीमा के अधीन***Maximum extent of Guarantee Coverage of the amount in default for each credit facility, subject to a ceiling of 10% of the crystalised portfolio***		
	सीजीटीएमएसई **CGTMSE**	तमिलनाडु राज्य सरकार (%)**Tamil Nadu State Government (%)**	कुल गारंटी कवर **Total Guarantee Cover**
कुल ऋण राशि पर ध्यान दिए बिना प्रति उधारकर्ता ₹40 लाख तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम विनिर्माण इकाइयाँ, Micro, Small and Medium Manufacturing Units upto ₹40 lakh per borrower, Irrespective of total loan amount	0%	चूक की 90% राशि 90% of amount in default	चूक की 90% राशि 90% of amount in default

ऐसे मामले जहां तमिलनाडु और सीजीटीएमएसई के सहयोग से टीएनसीजीएस के तहत ऋण गारंटी कवरेज का विस्तार **Cases where GoTN and CGTMSE are collaborating and extending credit guarantee coverage under TNCGS**			
40 लाख तक सूक्ष्म और लघु विनिर्माण इकाइयाँ Micro and Small Manufacturing Units Upto ₹40 lakh	चूक राशि का 75% 75% of amount in default	चूक राशि का 15% 15% of amount in default	चूक राशि का 90% 90% of amount in default
₹40 – ₹500 lakh	चूक राशि का 75% 75%of amount in default	चूक राशि का 5% 5%of amount in default	चूक राशि का 80% 80% of amount in default
Micro Manufacturing Enterprises upto 5 lakh	चूक राशि का 85% 85% of amount in default	चूक राशि का 5% 5% of amount in default	चूक राशि का 90% 90% of amount in default
महिला उद्यमी/एससी/एसटी उद्यमी/आकांक्षी जिले में स्थित एमएसई/जेडईडी प्रमाणित एमएसई/दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)/अग्निवीर द्वारा प्रवर्तित एमएसई Women entrepreneurs / SC/ST entrepreneurs / MSEs situated in Aspirational District / ZED certified MSEs / Person with Disability (PwD) / MSE promoted by Agniveers	चूक राशि का 85% 85% of amount in default	चूक राशि का 5% 5% of amount in default	चूक राशि का 90% 90% of amount in default

* दावों के लिए पात्र होने के लिए एमएलआई के पोर्टफोलियो के लिए उधारकर्ताओं से पोर्टफोलियो का 2% एमएलआई द्वारा वसूल किया जाना है। दावे का टीएनसीजीएस हिस्सा पोर्टफोलियो के 2% के अनुपात के रूप में प्राप्त ऋण के अनुपात में प्रत्येक उधारकर्ता के खाते के लिए जारी किया जाएगा। सावधि ऋणों के लिए, 2% दिये गये ऋण की मूल राशि के संदर्भ में है। परिक्रामी निधि-आधारित सुविधा के प्रयोजन के लिए, इसका आशय होगा कि 2% उधारकर्ता को एमएलआई द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के संदर्भ में है।

2% of the portfolio has to be recovered by MLI from borrowers for the portfolio of the MLI to be eligible for claims. The TNCGS portion of the claim will be released for each borrower's account in proportion to the credit realized as a proportion of the 2% of the portfolio. For term loans, 2% is in reference to the principal amount of the loan extended. For the purpose of a revolving fund-based facility, This shall mean 2% is in reference to the financial assistance committed by the MLI to the borrower.

₹50 लाख से ऊपर की ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी अनुमोदन की मंजूरी के सभी प्रस्तावों को एमएलआई द्वारा आंतरिक रूप से रेट किया जाना चाहिए और सीजीएस के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश ग्रेड का होना चाहिए।

All proposals for sanction of guarantee approvals for credit facilities above ₹50 lakh will have to be rated internally by the MLI and should be of investment grade as prevailing in the existing guidelines of CGS.

गारंटी कवर गारंटी आरंभ तिथि से शुरू होगा और सावधि ऋण / सम्मिश्र ऋण के संबंध में सावधि ऋण की सहमत अवधि तक चलेगा। जहां अकेले कार्यशील पूंजी पात्र उधारकर्ता को दी जाती है, गारंटी कवर 5 साल की अवधि या 5 साल के ब्लॉक के लिए या ऐसी अवधि के लिए होगा जो इस संबंध में ट्रस्ट द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

The guarantee cover will commence from the guarantee start date and shall run through the agreed tenure of the term credit in respect of term credit / composite credit. Where working capital alone is extended to the eligible borrower, the guarantee cover shall be for a period of 5 years or a block of 5 years or for such period as may be specified by the trust in this behalf.

IV. CLAIMS दावे

13. गारंटी लागू करना Invocation of guarantee

संसाधित संचयी दावों को कम करने के बाद टीएनसीजीएस की कुल गारंटी कवरेज एमएलआई के क्रिस्टलीकृत संचयी पोर्टफोलियो के 10% तक सीमित है। बशर्ते, किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए दावा निपटान उस वित्तीय वर्ष में उधारकर्ता को एमएलआई द्वारा दी गई क्रेडिट सुविधा के 10% तक सीमित होगा। टीएनसीजीएस के साथ एमएलआई के वार्षिक पोर्टफोलियो के क्रिस्टलीकरण के बाद पूरे वर्ष के दावों को टीएनसीजीएस द्वारा भुगतान के लिए संसाधित किया जाएगा।

TNCGS's total guarantee coverage is restricted to 10% of crystalised cumulative portfolio of MLI after reducing cumulative claims processed. Provided, claim settlement for any financial year will be restricted to 10% of the credit facility extended by the MLI to the borrower in that financial year. The claims for the entire

year will be processed for payment by TNCGS after crystallization of the annual portfolio of the MLI with TNCGS

<u>दावा प्रक्रिया Claims Process:</u>

सीजीटीएमएसई के हिस्से के लिए For CGTMSE portion:

a. व्यक्तिगत ऋणों के लिए, सीजीटीएमएसई हिस्से से भुगतान किया जाने वाला मूल्य सीजीटीएमएसई की सीजीएस योजनाओं के मानदंडों का पालन करेगा।

For the individual loans, the value to be paid out of the CGTMSE portion will follow the norms of the CGS schemes of CGTMSE.

टीएनसीजीएस के हिस्से के लिए For TNCGS portion:

b. टीएनसीजीएस पोर्टल पर स्वचालित अलर्ट के माध्यम से एमएलआई द्वारा वास्तविक समय के आधार पर दावों की सूचना दी जा सकती है, जो गारंटीकृत खातों के लिए एमएलआई की प्रणाली के साथ एपीआई के माध्यम से जुड़ा हुआ है।

Claims may be reported on real time basis by the MLI by means of automatic alerts on the TNCGS portal which is connected through APIs with MLI's system for the guaranteed accounts.

c. दावों को यह सुनिश्चित करने के बाद संसाधित किया जाएगा कि पोर्टफोलियो का **2%** उधारकर्ता से वसूल किया गया है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। वास्तविक फंड ट्रांसफर पोर्टफोलियो के क्रिस्टलीकृत होने और सालाना एनपीए चिह्नित होने के बाद होगा।

Claims will be processed after ensuring that 2% of the portfolio is recovered from the borrower, as explained above. The actual funds transfer will take place after the portfolio is crystalised and NPA is marked annually.

d. टीएनसीजीएस के तहत कुल दावा राशि क्रिस्टलाइज्ड पोर्टफोलियो के **10%** तक सीमित होगी। जिन ऋण खातों में मूल देय राशि के विरुद्ध वसूली के रूप में **2%** जमा किया जाता है, उन्हें पहले वरीयता मिलेगी जब टीएनसीजीएस अपनी गारंटी राशि जारी करता है।

Overall claim amount under TNCGS will be restricted to 10% of the crystalised portfolio. The loan accounts where the 2% is credited as recovery against principal due, will get first preference while TNCGS releases its guarantee amount.

e. प्रथम वरीयता ऋण खातों और अन्य ऋण खातों में भुगतान का क्रम **2%** के क्रेडिट के पूरा होने का कालानुक्रम है। यह ऋणदात्री संस्था स्तर पर होगा।

The order of payment within first preference loan accounts and other loan accounts is the chronology of completion of credit of 2%. This will be at an LI level.

f. तमिलनाडु सरकार दावे के अपने हिस्से की गणना करेगा और उसे जारी करने में सक्षम बनाने के लिए सीजीटीएमएसई को सूचित करेगा।

GoTN shall calculate its portion of claim & intimate CGTMSE to enable it to release the same.

अनर्जक आस्ति अंकन NPA marking

सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) को ऑनलाइन सिस्टम में निम्नलिखित विकल्प का उपयोग करके अगली तिमाही के अंत तक उस तारीख को सूचित करना आवश्यक है जिस दिन खाते को एक विशेष कैलेंडर तिमाही में एसएमए0, एसएमए1, एसएमए2 और एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

(सदस्य लॉगिन एरिया >> गारंटी मेंटिनेंस >> पीरियाडिक इन्फ़ॉर्मेशन >> एनपीए डीटेल्स)

The Member Lending Institutions (MLIs) are required to inform the date on which the account was classified as SMA0, SMA1, SMA2 and NPA in a particular calendar quarter by end of subsequent quarter using the following option in the online system.

(Member Login area >> Guarantee Maintenance >> Periodic Information >> NPA Details)

(i) टीएनसीजीएस इस प्रविष्टि को वास्तविक समय में कर सकता है, जिसमें मंजूरी की तारीख के लिए प्रत्येक ऋण विवरण का वास्तविक समय भी शामिल हो सकता है। टीएनसीजीएस कवरेज के तहत ऋण की मात्रा निर्धारित करने के लिए टीएनसीजीएस में सख्त वैकल्पिक पात्रता फिल्टर हो सकते हैं। इसलिए, टीएनसीजीएस के तहत कोई स्वचालित कवरेज नहीं होगा।
TNCGS may make this entry real time also covering each loan details real time for the date of sanction. The TNCGS may have strict elective eligibility filters to quantify a loan under TNCGS coverage. So, there would be no automatic coverage under TNCGS.

(ii) यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं तो ऋणदात्री संस्था एनपीए तिथि या लॉक-इन अवधि से अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी बाद में हो, ऋण सुविधा के संबंध में गारंटी लागू कर सकती है: -
The lending institution may invoke the guarantee in respect of credit facility within a maximum period of 3 years from the NPA date or lock- in period whichever is later if the following conditions are satisfied: -

I. उस ऋण सुविधा के संबंध में गारंटी खाता के एनपीए में बदलने के समय लागू थी।
The guarantee in respect of that credit facility was in force at the time of account turning NPA.

II. उधारकर्ता को ऋण के अंतिम संवितरण की तारीख या उधारकर्ता को ऋण सुविधा के संबंध में गारंटी प्रारंभ तिथि/सामग्री तिथि, जो भी बाद में हो, से 18 महीने की लॉक-इन अवधि समाप्त हो गई है।
The lock-in period of 18 months from either the date of last disbursement of the loan to the borrower or the guarantee start date/

material date in respect of credit facility to the borrower, whichever is later, has lapsed.

III. ऋण सुविधा के संबंध में ऋणदात्री संस्था को देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है और बकाया राशि को ऋणदात्री संस्था द्वारा अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बशर्ते कि ऋणदात्री संस्था उक्त क्रेडिट सुविधा के संबंध में ट्रस्ट पर कोई दावा नहीं करेगी या करने की हकदार नहीं होगी यदि उक्त ऋण सुविधा के संबंध में हानि ट्रस्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों के विपरीत या उल्लंघन में किए गए कार्यों / निर्णयों के कारण हुई थी।

The amount due and payable to the lending institution in respect of the credit facility has not been paid and the dues have been classified by the lending institution as Non-Performing Assets. Provided that the lending institution shall not make or be entitled to make any claim on the Trust in respect of the said credit facility if the loss in respect of the said credit facility had occurred owing to actions / decisions taken contrary to or in contravention of the guidelines issued by the Trust.

IV. ऋण सुविधा वापस ले ली गई है और कानून की उचित प्रक्रिया के तहत वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सरफेसी अधिनियम 2002/एसएफ़सी अधिनियम 1951 के तहत केवल रिकॉल नोटिस जारी करने को सीजीएस के तहत दावे को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से कानूनी कार्यवाही शुरू करने के रूप में नहीं माना जा सकता है। एमएलआई को सलाह दे जाती है कि सरफेसी अधिनियम 2002/एसएफसी अधिनियम 1951 की धारा 13 (4)/धारा 29(1) के अनुसार आगे की कार्रवाई करें जिसमें एक सुरक्षित लेनदार गारंटीकृत राशि की पहली किस्त के लिए दावे प्रस्तुत करने से पहले उसमें उल्लिखित चार उपायों में से किसी एक या अधिक वसूली उपायों का सहारा ले सकता है। यदि एमएलआई उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4)/धारा 29(1) में बताई गई कोई भी कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है, तो वे किसी अन्य लागू कानून के तहत नई वसूली कार्यवाही शुरू कर सकते हैं और ट्रस्ट से पहली किस्त के लिए दावा मांग सकते हैं।

The credit facility has been recalled and the recovery proceedings have been initiated under due process of law. Mere issuance of recall notice under SARFAESI Act 2002/SFC Act 1951 cannot be construed as initiation of legal proceedings for purpose of preferment of claim under CGS. MLIs are advised to take further action as contained in Section 13 (4)/ Section 29(1) of the SARFAESI Act 2002/SFC Act 1951 wherein a secured creditor can take recourse to any one or more of the recovery measures out of the four measures indicated therein before submitting claims for first instalment of guaranteed amount. In case the MLI is not in a position to take any of the action indicated in Section 13(4)/Section 29(1) of the aforesaid Act, they may initiate fresh recovery proceeding under any other applicable law and seek the claim for first instalment from the Trust.

V. हालाँकि, ₹10,00,000/- तक की कुल बकाया वाली ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी लागू करने की पूर्व शर्त के रूप में कानूनी कार्यवाही शुरू करने से छूट दी जाएगी। जहां सीजीटीएमएसई द्वारा गारंटी की सीमा 15% कम करके एकल किस्त में दावा निपटाया जाता है, वहां निपटान का तमिलनाडु सरकार का हिस्सा वही होगा जो उपरोक्त तालिका में लागू है।
However, initiation of legal proceedings as a pre-condition for invoking of guarantees shall be waived for credit facilities having aggregate outstanding up to ₹10,00,000/-,. Where claim is settled in single installment with reduced extent of guarantee by 15% by CGTMSE, the GoTN portion of settlement would be same as applicable in table above.

VI. संबंधित एमएलआई के दावों का निपटारा क्रिस्टलीकृत पोर्टफोलियो के 10% की सीमा तक किया जाएगा, बशर्ते पोर्टफोलियो का 2% ऊपर बताए अनुसार वसूल किया जाए। क्रिस्टलीकृत पोर्टफोलियो के 10% से अधिक दर्ज/प्राप्त कोई भी दावा निपटान के लिए पात्र नहीं होगा।
Claims of the respective MLI will be settled to the extent of 10% of the crystallized portfolio provided 2% of the portfolio is is recovered as explained above. Any claim lodged / received exceeding 10% of the crystallized portfolio will not be eligible for settlement.

(iii) एक बार टीएनसीजीएस गारंटी लागू हो जाने पर, तमिलनाडु सरकार उधारकर्ताओं के खिलाफ राजस्व वसूली अधिनियम के तहत आगे कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, जहां टीएनसीजीएस द्वारा तय किए गये अनुसार वसूली (आमतौर पर, उस वर्ष 1 अप्रैल को बैंक दर से 4% अधिक) ब्याज के साथ होगी। उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट ब्यूरो स्कोर निर्धारित करने से पहले राजस्व वसूली अधिनियम के तहत राशि का पूर्ण संग्रह या ऋणदात्री संस्था द्वारा (बिना छूट आदि के एकमुश्त निपटान) आवश्यक है।
Once TNCGS guarantee is invoked, Government of Tamil Nadu reserves the right to proceed under the Revenue Recovery Act against the borrowers, where the collection will happen with interest, as decided by TNCGS. (Usually, 4% above bank rate on 1st April of that year). Full collection of the amount under Revenue Recovery Act, or to the lending Institution (without discounts, etc. under one time settlement, etc.) is necessary before credit bureau scores are set right for the borrowers.

(iv) ऋणदात्री संस्था द्वारा ऐसे तरीक़े और ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत दावे को वरीयता दी जायेगी जो ट्रस्ट द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया गया हो।
The claim should be preferred by the lending institution in such manner and within such time as may be specified by the Trust in this behalf.

(v) ट्रस्ट 30 दिनों के भीतर ऋणदात्री संस्था द्वारा पात्र दावे को प्राथमिकता देने पर गारंटीकृत राशि का 75 प्रतिशत भुगतान करेगा, बशर्ते कि दावा अन्यथा सभी प्रकार से सही और पूर्ण पाया जाए। ट्रस्ट ऋणदात्री संस्था को 30 दिनों से अधिक

की देरी की अवधि के लिए प्रचलित बैंक दर पर पात्र दावा राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा। गारंटी राशि का शेष 25 प्रतिशत वसूली कार्यवाही के समापन पर या डिक्री के कालातीत होने तक भुगतान किया जाएगा। गारंटीकृत राशि का शेष 25 प्रतिशत ऋण देने वाली संस्था द्वारा वसूली कार्यवाही के समापन पर या वसूली की डिक्री प्राप्त होने के तीन साल बाद, जो भी पहले हो, भुगतान किया जाएगा। दावे का भुगतान किए जाने पर, ट्रस्ट को संबंधित उधारकर्ता के संबंध में लागू गारंटी के कारण अपनी सभी देनदारियों से मुक्त माना जाएगा। हालाँकि, एमएलआई को सीजीटीएमएसई द्वारा पूरी गारंटी राशि के भुगतान के बाद यूनिट से प्राप्त किसी भी राशि को वापस करने का वचन देना चाहिए।

The Trust shall pay 75 percent of the guaranteed amount on preferring of eligible claim by the lending institution within 30 days subject to the claim being otherwise found in order and complete in all respects. The Trust shall pay to the lending institution interest on the eligible claim amount at the prevailing Bank Rate for the period of delay beyond 30 days. The balance 25 per cent of the guaranteed amount will be paid on conclusion of recovery proceedings or till the decree gets time barred. The balance 25 per cent of the guaranteed amount will be paid on conclusion of recovery proceedings by the lending institution or after three years of obtention of decree of recovery, whichever is earlier. On a claim being paid, the Trust shall be deemed to have been discharged from all its liabilities on account of the guarantee in force in respect of the borrower concerned. MLIs, however, should undertake to refund any amount received from the unit after payment of full guaranteed amount by CGTMSE.

(vi) चूक की स्थिति में, ऋणदात्री संस्था उधारकर्ताओं की संपत्तियों को अपने क़ब्ज़े में लेने के लिए, अपने अधिकारों, यदि कोई हो, का प्रयोग करेगी और ऐसी संपत्तियों की बिक्री से या अन्यथा प्राप्त राशि, यदि कोई हो, को पहले ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा गारंटीकृत राशि के शेष 25 प्रतिशत का दावा करने से पहले ट्रस्ट को पूर्ण रूप से जमा किया जाएगा।

In the event of default, the lending institution shall exercise its rights, if any, to take over the assets of the borrowers and the amount realized, if any, from the sale of such assets or otherwise shall first be credited in full by the lending institutions to the Trust before it claims the remaining 25 per cent of the guaranteed amount.

(vii) यदि मूल्यांकन/नवीनीकरण/अनुपालन, ऋण सुविधा के संचालन /परिचालन में या जहां दावा एक से अधिक बार दर्ज किया गया था या जहां दावों के निपटान के लिए ऋणदात्री संस्थाओं की ओर से किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया गया था, ऐसी गंभीर कमियां होने की स्थिति में ट्रस्ट द्वारा ऐसा कॉल किया जाता है, तो ऋणदात्री संस्था सीजीटीएमएसई द्वारा निर्धारित दंडात्मक ब्याज, यदि कोई हो, के साथ ट्रस्ट द्वारा जारी दावे को वापस करने के लिए उत्तरदायी होगी। ट्रस्ट द्वारा दावे की प्रारंभिक रिलीज की तारीख से दावे की वापसी की तारीख तक, ट्रस्ट द्वारा मांगे जाने पर ऋणदात्री संस्था ऐसे दंडात्मक ब्याज का भुगतान करेगी।

The lending institution shall be liable to refund the claim released by the Trust together with penal interest stipulated by CGTMSE, if any, if such call is made by the Trust in the event of serious deficiencies having existed in the matter of appraisal / renewal / follow-up / conduct of the credit facility or where lodgement of the claim was more than once or where there existed suppression of any material information on part of the lending institutions for the settlement of claims. The lending institution shall pay such penal interest, when demanded by the Trust, from the date of the initial release of the claim by the Trust to the date of refund of the claim.

(viii) एमएलआई सीजीटीएमएसई पोर्टल में दावे की पहली किस्त के निपटान के बाद प्राप्त वसूली/ओटीएस राशि को अद्यतन, आवंटित और प्रेषित कर सकते हैं।
MLIs can update, allocate and remit the recoveries/ OTS amount received post settlement of first instalment of claim in the CGTMSE portal.

(ix) पहले दावे को ऑनलाइन दर्ज करते समय, एमएलआई को सिस्टम में प्रदर्शित चेकलिस्ट के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से घोषणा और वचन-पत्र जमा करना होता है।
While online lodgement of first claim, MLIs have to submit the Declaration & Undertaking (D& U) electronically along with the checklist displayed in the system.

द्वितीय/अंतिम किस्त का निपटान **Settlement of second / final instalment**

ऋण सुविधा की मंजूरी तिथि पर ध्यान दिये बिना, वसूली के समापन/ दूसरी अंतिम किस्त के निपटान पर विचार किया जाएगा। वसूली कार्यवाही के समापन के संबंध में, एमएलआई के संबंधित प्राधिकारी द्वारा यथा लागू और प्रमाणित चार परिदृश्यों का पालन करने को वसूली कार्यवाही के निष्कर्ष के रूप में माना जाता है, बशर्ते कि पहले दावे के निपटान की तारीख से 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि समाप्त हो गई हो।

The settlement of second / final instalment will be considered on conclusion of recovery, irrespective of the sanction date of the credit facility. With regards to conclusion of recovery proceedings, following four scenarios as applicable and certified by the concerned authority of the MLI is considered as conclusion of recovery proceedings provided minimum period of 3 years from the date of settlement of first claim has been lapsed.

i. यदि कानूनी कार्रवाई केवल सरफेसी अधिनियम के तहत शुरू की गई है और जो भी उपलब्ध संपत्ति है, उसे बेच दिया जाता है और राशि ट्रस्ट को भेज दी जाती है। इसके अलावा, उधारकर्ता का पता नहीं चल पा रहा है और व्यक्तिगत गारंटर की निवल संपत्ति आगे कानूनी कदम उठाने लायक नहीं है।
If legal action is initiated only under SARFAESI Act and whatever assets available were sold off and the amount is remitted to the Trust. Also, the borrower is not traceable and the Net worth of the Personal Guarantor is not worth pursuing further legal course.

ii. यदि सरफेसी के तहत परिसंपत्तियों की बिक्री के माध्यम से राशि वसूल की जाती है और कोई अन्य संपत्ति उपलब्ध नहीं है और आरआरए, सिविल कोर्ट, लोक अदालत या डीआरटी जैसे किसी भी मंच के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है, जहां उधारकर्ता से धन की वसूली के लिए कोई और साधन नहीं है और व्यक्तिगत गारंटर की निवल संपत्ति में काफी गिरावट आई है।

If amount is recovered through sale of assets under SARFAESI and no other assets are available and legal action is taken under any forum such as RRA, Civil Court, Lok Adalat or DRT where there is no further means to recover the money from the borrower and the Net worth of the Personal guarantor is significantly eroded.

iii. यदि कोई संपत्ति उपलब्ध नहीं है और उधारकर्ता फरार है, और व्यक्तिगत गारंटर का निवल मूल्य काफी कम हो गया है।

If no assets are available and the borrower is absconding, and the Net worth of the Personal guarantor is significantly eroded.

iv. यदि कोई संपत्ति उपलब्ध नहीं है और कानूनी कार्रवाई वापस ले ली गई है क्योंकि उधारकर्ता फरार है और यह कानूनी कार्रवाई करने लायक नहीं हो सकता है।

If no assets are available and the legal action is withdrawn as the borrower is absconding and it may not be worth pursuing legal action.

गारंटीशुदा राशि के शेष 25 प्रतिशत का भुगतान ऋणदात्री संस्था द्वारा वसूली की कार्यवाही के समापन पर या वसूली की डिक्री की समाप्ति के तीन साल बाद, जो भी पहले हो, किया जाएगा। तथापि, ऐसे मामलों में जहां सरफेसी अधिनियम या आरआरए के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है, एमएलआई को सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत कार्रवाई की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति और तहसीलदार द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्र की तारीख के बाद दूसरा दावा दर्ज करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि एमएलआई से निम्नलिखित पुष्टि हो:

The balance 25 per cent of the guaranteed amount will be paid on conclusion of recovery proceedings by the lending institution or after three years of obtention of decree of recovery, whichever is earlier. However, in cases where the legal action has been initiated under SARFAESI Act or RRA, the MLIs may be allowed to lodge 2nd claim after the lapse of three years from date of action under Section 13(4) of SARFAESI Act and the date of Recovery Certificate issued by the Tahsildar respectively subject to following confirmation from the MLIs:

I. व्यक्तिगत गारंटी लागू की गई है और आगे कोई वसूली संभव नहीं है।
Personal Guarantees have been invoked and no further recovery is possible.

II. निपटान के लिए कोई ठोस प्रतिभूति संपत्ति नहीं छोड़ी गई है और न ही आगे वसूली संभव है.
No tangible secured assets have been left for disposal and no further recovery is possible.

III. खाते में की गई संपूर्ण वसूली को विधिवत दर्शाया गया है और दूसरा दावा आवेदन सीजीटीएमएसई को भेज दिया गया है।
The entire recoveries made in the account have been duly indicated in the 2nd claim application/have been passed on to CGTMSE.

14. भुगतान किए गए दावों के कारण अधिकारों और वसूली का प्रतिस्थापन
Subrogation of rights and recoveries on account of claims paid

a. ऋणदात्री संस्था ट्रस्ट को वसूली के लिए अपने प्रयासों का विवरण, वसूली और समय-समय पर माँगी जाने वाली या अपेक्षित अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगी। ऋणदात्री संस्था अपनी ओर से और ट्रस्ट की ओर से उधारकर्ता को दी गई ऋण सुविधा से सृजित संपत्तियों पर ग्रहणाधिकार रखेगी। ट्रस्ट किसी भी प्रतिस्थापन अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा और संपत्ति के अधिग्रहण, संपत्ति की बिक्री आदि सहित बकाया की वसूली की जिम्मेदारी ऋणदात्री संस्था की होगी।

The lending institution shall furnish to the Trust, the details of its efforts for recovery, realizations and such other information as may be demanded or required from time to time. The lending institution will hold lien on assets created out of the credit facility extended to the borrower, on its own behalf and on behalf of the Trust. The Trust shall not exercise any subrogation rights and that the responsibility for the recovery of dues including takeover of assets, sale of assets, etc., shall rest with the lending institution.

b. यदि किसी उधारकर्ता पर ऋणदात्री संस्था के कई अलग-अलग ऋण बकाया हैं और उनमें से उधारकर्ता द्वारा किसी एक या अधिक के लिए भुगतान करने की स्थिति में, चाहे वह खाता जिसके लिए भुगतान किया गया है, ट्रस्ट की गारंटी द्वारा कवर किया गया है या नहीं, इस खंड के प्रयोजन के लिए, ऐसे भुगतानों को ऋणदात्री संस्था द्वारा गारंटी द्वारा कवर किए गए ऋण के लिए विनियोजित माना जाएगा और जिसके संबंध में एक दावे को प्राथमिकता दी गई है और भुगतान किया गया है, भले ही ऐसे उधारकर्ता द्वारा इंगित विनियोजन का तरीक़ा या जिस तरह से ऐसे भुगतान वास्तव में विनियोजित किए जाते हैं।

In the event of a borrower owing several distinct and separate debts to the lending institution and making payments towards any one or more of the same, whether the account towards which the payment is made is covered by the guarantee of the Trust or not, such payments shall, for the purpose of this clause, be deemed to have been appropriated by the lending institution to the debt covered by the guarantee and in respect of which a claim has been preferred and paid, irrespective of the manner of appropriation indicated by such borrower or the manner in which such payments are actually appropriated.

c. वसूली गयी और ट्रस्ट को भुगतान की जाने वाली प्रत्येक राशि का भुगतान बिना किसी देरी के किया जाएगा, और यदि ट्रस्ट को देय कोई भी राशि फली बार वसूल की गयी तारीख़ से 30 दिनों की अवधि के बाद भी भुगतान नहीं की जाती है, तो ऋण देने वाली संस्था द्वारा ट्रस्ट को उस दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा, जो उस अवधि के लिए बैंक दर से 4% अधिक है, जिसके लिए 30 दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भुगतान बकाया रहता है।

Every amount recovered and due to be paid to the Trust shall be paid without delay, and if any amount due to the Trust remains unpaid beyond a period of 30 days from the date on which it was first recovered, interest shall be payable to the Trust by the lending institution at the rate which is 4% above Bank Rate for

the period for which payment remains outstanding after the expiry of the said period of 30days.

विविध
V. MISCELLANEOUS

15. ऋणदात्री संस्थाओं से प्राप्त राशि का विनियोजन

Appropriation of amount received from the lending institutions

ऋणदात्री संस्थाओं से प्राप्त राशि का विनियोजन उसी क्रम में किया जाएगा जिस क्रम में सेवा शुल्क/वार्षिक गारंटी शुल्क, दंडात्मक ब्याज और अन्य शुल्क देय होंगे। यदि सेवा शुल्क/वार्षिक गारंटी शुल्क और दंडात्मक ब्याज एक ही तारीख को देय हो गए हैं, तो विनियोजन पहले सेवा शुल्क/वार्षिक गारंटी शुल्क के लिए और फिर दंडात्मक ब्याज के लिए और अंत में पात्र ऋण सुविधा के संबंध में देय किसी भी अन्य शुल्क के लिए किया जाएगा।

The amount received from the lending institutions shall be appropriated in the order in which the service fee / annual guarantee fee, penal interest and other charges have fallen due. If the service fee / annual guarantee fee and the penal interest have fallen due on the same date, then the appropriation shall be made first towards service fee / annual guarantee fee and then towards the penal interest and finally towards any other charges payable in respect of the eligible credit facility.

16. गारंटी लागू होने के बाद ऋण सुविधा के संबंध में ऋणदात्री संस्था द्वारा प्राप्त राशि का विनियोजन।Appropriation of amount realized by the lending institution in respect of a credit facility after the guarantee has been invoked.

जहां ट्रस्ट द्वारा इस योजना की धारा 10 में निहित प्रावधानों के अनुसार चूक राशि के लिए ऋणदात्री संस्था को एक राशि जारी करने के बाद, ऋणदात्री संस्था द्वारा शुरू की गई वसूली कार्यवाही के बाद वह यदि वह धन की वसूली करती है, तो उक्त वसूली के लिए उसके द्वारा किए गए कानूनी खर्च को समायोजित करने के बाद, उसे ट्रस्ट के पास जमा किया जाएगा। ट्रस्ट सबसे पहले लंबित वार्षिक सेवा शुल्क/वार्षिक गारंटी शुल्क, दंडात्मक ब्याज और ट्रस्ट को देय अन्य शुल्कों, यदि कोई हो, के लिए ऋण सुविधा के संबंध में, जिसके लिए ऋणदात्री संस्था द्वारा राशि की वसूली की गई है, विनियोजित करेगा और शेष राशि, यदि कोई हो, को इस तरह से विनियोजित किया जाएगा ताकि ट्रस्ट और ऋणदात्री संस्था के बीच ऋण सुविधा की वसूली में कमी के कारण होने वाली हानि उस अनुपात में हो जिसमें गारंटी दी गयी है।

.Where subsequent to the Trust having released a sum to the lending institution towards the amount in default in accordance with the provisions contained in the Section 10 of this scheme, the lending institution recovers money subsequent to the recovery proceedings initiated by it, the same shall be deposited by the lending institution with the Trust, after adjusting towards the legal cost incurred by it for recovery of the amount. The Trust shall appropriate the same first towards the pending annual service fee / annual guarantee fee, penal interest, and other charges due to the Trust, if any, in respect of the credit facility towards which the amount has been recovered by the lending institution, and the balance, if any, shall be appropriated in such a manner so that losses on account of deficit in recovery of the credit facility between the Trust and the lending institution are in the proportion in

which guarantee has been extended. .

17. कुछ मामलों में ट्रस्ट का दायित्व समाप्त कर दिया जाएगा Trust's liability to be terminated in certain cases

a. यदि इस योजना के तहत गारंटीकृत किसी भी पात्र ऋण सुविधा के कारण ऋणदात्री संस्था को उधारकर्ता की देनदारियां किसी अन्य उधारकर्ता को हस्तांतरित या सौंपी जाती हैं और यदि उधारकर्ता की पात्रता और सुविधा की राशि और कोई अन्य नियम और शर्तें, यदि कोई हैं, जिसके अधीन योजना के तहत ऋण सुविधा की गारंटी दी जा सकती है, और वे उक्त हस्तांतरण या असाइनमेंट के बाद संतुष्ट नहीं हैं, तो ऋण सुविधा के संबंध में गारंटी को उक्त हस्तांतरण या असाइनमेंट की तारीख से समाप्त माना जाएगा।
If the liabilities of a borrower to the lending institution on account of any eligible credit facility guaranteed under this Scheme are transferred or assigned to any other borrower and if the conditions as to the eligibility of the borrower and the amount of the facility and any other terms and conditions, if any, subject to which the credit facility can be guaranteed under the Scheme are not satisfied after the said transfer or assignment, the guarantee in respect of the credit facility shall be deemed to be terminated as from the date of the said transfer or assignment.

b. यदि कोई उधारकर्ता अपनी गतिविधि की समाप्ति के कारण योजना के तहत किसी भी ऋण सुविधा के लिए अयोग्य हो जाता है, तो योजना के तहत ऋणदात्री संस्था द्वारा उसे दी गई किसी भी ऋण सुविधा के संबंध में ट्रस्ट की देयता उस तारीख़ तक उस संस्था के प्रति उधारकर्ता की देयता तक सीमित होगी। हालाँकि, इस योजना के तहत निर्धारित ट्रस्ट की देनदारी की सीमा के अधीन, उधारकर्ता उस तारीख को ऋण देने वाली संस्था को अपात्र हो जाता है। हालाँकि, किसी भागीदार की मृत्यु या सेवानिवृत्ति के बावजूद, जहां उधारकर्ता एक साझेदारी फर्म है या संयुक्त उधारकर्ताओं में से एक की मृत्यु हो जाती है, यदि ऋणदात्री संस्था जीवित भागीदार या साझेदारों या जीवित उधारकर्ता या उधारकर्ताओं को ऋण सुविधाएं जारी रखने की हकदार है, जैसा भी मामला हो और यदि क्रेडिट सुविधाएं पहले से ही अनर्जक आस्ति नहीं बन गई हैं, तो ऐसी क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में गारंटी को इस पैराग्राफ में दिए गए अनुसार समाप्त नहीं माना जाएगा।
If a borrower becomes ineligible for being granted any credit facilities under the Scheme, by reason of cessation of his activity, the liability of the Trust in respect of any credit facilities granted to him by a lending institution under the Scheme shall be limited to the liability of the borrower to the lending institution as on the date on which the borrower becomes so ineligible, subject, however, to the limits on the liability of the Trust fixed under this Scheme. However, notwithstanding the death or retirement of a partner where the borrower is a partnership firm or the death of one of the joint borrowers, if the lending institution is entitled to continue the credit facilities to the surviving partner or partners or the surviving borrower or borrowers, as the case may be and if the credit facilities have not already become non-performing asset, the guarantee in respect of such credit facilities shall not to be deemed to be terminated as provided in this paragraph.

18. विवरणियाँ एवं निरीक्षण Returns and Inspections

ऋण देने वाली संस्था ऐसे विवरण प्रस्तुत करेगी और ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगी जिसकी ट्रस्ट को इस योजना के तहत किसी भी ऋण सुविधा के संबंध में आवश्यकता हो।

The lending institution shall submit such statements and furnish such information as the Trust may require in connection with any credit facility under this Scheme.

- ऋणदात्री संस्था ट्रस्ट को ऐसे सभी दस्तावेज़, रसीदें, प्रमाण पत्र और अन्य लेख भी प्रस्तुत करेगी जिनकी ट्रस्ट को आवश्यकता हो और यह पुष्टि की गई मानी जाएगी कि ऐसे दस्तावेजों, रसीदों, प्रमाणपत्रों और अन्य लेखों की विषय- वस्तु सत्य है, बशर्ते कि कोई भी दावा खारिज नहीं किया जाएगा और अच्छे विश्वास में किए गए किसी भी कार्य के लिए ऋणदात्री संस्था या उसके किसी भी अधिकारी पर कोई दायित्व नहीं होगा।
- The lending institution shall also furnish to the Trust all such documents, receipts, certificates and other writings as the latter may require and shall be deemed to have affirmed that the contents of such documents, receipts, certificates and other writings are true, provided that no claim shall be rejected and no liability shall attach to the lending institution or any officer thereof for anything done in good faith.

- ट्रस्ट को जहां तक योजना के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, ऋणदात्री संस्था और ऋणदात्री संस्था के किसी भी उधारकर्ता के खाते की लेखा-बहियों और अन्य अभिलेखों (निर्देशों की किसी भी बही या मैनुअल या अग्रिमों के संचालन के संबंध में सामान्य निर्देशों को कवर करने वाले परिपत्रों सहित) का निरीक्षण करने या प्रतियां मांगने का अधिकार होगा। ऐसा निरीक्षण या तो ट्रस्ट के अधिकारियों या सिडबी (सिडबी के अलावा अन्य संस्थानों के मामले में) या निरीक्षण के उद्देश्य से ट्रस्ट द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से किया जा सकता है। ऋणदात्री संस्था का प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी या उधारकर्ता, जो ऐसा करने की स्थिति में है, ट्रस्ट या सिडबी के अधिकारियों या निरीक्षण के लिए नियुक्त व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, को खाते की किताबें और अन्य रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक जानकारी उपलब्ध कराएगा जो उसके पास हैं।

- The Trust shall in so far as it may be necessary for the purposes of the Scheme, have the right to inspect or call for copies of the books of account and other records (including any book of instructions or manual or circulars covering general instructions regarding conduct of advances) of the lending institution, and of any borrower from the lending institution. Such inspection may be carried out either through the officers of the Trust or of SIDBI (in case of Institutions other than SIDBI) or any other person appointed by the Trust for the purpose of inspection. Every officer or other employee of the lending institution or the borrower, who is in a position to do so, shall make available to the officers of the Trust or SIDBI or the person appointed for the inspection as the case may be, the books of account and other records and electronic information which are in his possession.

19. योजना के तहत लगाई गई शर्तें ऋण देने वाली संस्था पर बाध्यकारी होंगीConditions imposed under the Scheme to be binding on the lending institution

(i) ट्रस्ट द्वारा दी गई कोई भी गारंटी योजना के प्रावधानों द्वारा शासित होगी जैसे कि ऐसी गारंटी को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों में लिखा गया था।

Any guarantee given by the Trust shall be governed by the provisions of the Scheme as if the same had been written in the documents evidencing such guarantee.

(ii) ऋणदात्री संस्था जहां तक संभव हो यह सुनिश्चित करेगी कि योजना के तहत गारंटीकृत खाते से संबंधित किसी भी अनुबंध की शर्तें योजना के प्रावधानों के साथ टकराव में नहीं हैं, लेकिन किसी अन्य दस्तावेज़ या अनुबंध में किसी भी प्रावधान के बावजूद, ट्रस्ट के संबंध में ऋणदात्री संस्था योजना के तहत लगाई गई शर्तों से बंधी होगी।

The lending institution shall as far as possible ensure that the conditions of any contract relating to an account guaranteed under the Scheme are not in conflict with the provisions of the Scheme but notwithstanding any provision in any other document or contract, the lending institution shall in relation to the Trust be bound by the conditions imposed under the Scheme.

20. संशोधन और छूट Modifications and exemptions

I. हालाँकि, ट्रस्ट योजना को संशोधित करने, रद्द करने या बदलने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है, ताकि योजना के तहत जारी गारंटी से उत्पन्न होने वाले या अर्जित होने वाले अधिकार या दायित्व उस तारीख तक प्रभावित नहीं होंगे, जिस दिन ऐसा संशोधन, रद्दीकरण या प्रतिस्थापन लागू होता है।

The Trust reserves to itself the right to modify, cancel or replace the scheme so, however, that the rights or obligations arising out of, or accruing under a guarantee issued under the Scheme up to the date on which such modification, cancellation or replacement comes into effect, shall not be affected.

II. इसमें निहित किसी भी बात के होते हुए भी, ट्रस्ट को उस खाते के संबंध में योजना के नियमों और शर्तों को बदलने का अधिकार होगा जिसके संबंध में ऐसे परिवर्तन की तिथि पर गारंटी जारी नहीं की गई है।

Notwithstanding anything contained herein, the Trust shall have a right to alter the terms and conditions of the Scheme in regard to an account in respect of which guarantee has not been issued as on the date of such alteration.

III. योजना रद्द होने की स्थिति में, योजना द्वारा कवर की गयी सुविधाओं के संबंध में ट्रस्ट के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा, जब तक कि योजना की धारा 10 के खंड (i) और (ii) में निहित प्रावधानों का अनुपालन ऋणदात्री संस्था द्वारा रद्दीकरण लागू होने की तारीख से पहले नहीं किया जाता है।

In the event of the Scheme being cancelled, no claim shall lie against the Trust in respect of facilities covered by the Scheme, unless the provisions contained in Clause (i) and (ii) of Section 10 of the Scheme are complied with by the lending institution prior to the date on which the cancellation comes into force.

21. व्याख्या Interpretation

यदि योजना के किसी भी प्रावधान की व्याख्या या उसके संबंध में दिए गए किसी निर्देश या

दिशा-निर्देश या स्पष्टीकरण के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो ट्रस्ट का निर्णय अंतिम होगा।
If any question arises in regard to the interpretation of any of the provisions of the Scheme or of any directions or instructions or clarifications given in connection there with, the decision of the Trust shall be final.

22. अनुपूरक एवं सामान्य प्रावधान Supplementary and general provisions

इस योजना में विशेष रूप से प्रदान नहीं किए गए किसी भी मामले के संबंध में, ट्रस्ट ऐसे पूरक या अतिरिक्त प्रावधान कर सकता है या ऐसे निर्देश या स्पष्टीकरण जारी कर सकता है जो योजना के उद्देश्य के लिए आवश्यक हों।
In respect of any matter not specifically provided for in this Scheme, the Trust may make such supplementary or additional provisions or issue such instructions or clarifications as may be necessary for the purpose of the Scheme.

वर्तमान सीजीएस-II के सभी प्रसंविदाएँ समय-समय पर संशोधित परिचालन तौर-तरीकों आदि के संबंध में एनबीएफसी के प्रस्तावों की गारंटी के लिए यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगी।
All covenants of the current CGS-II would apply mutatis mutandis to guarantee proposals of NBFCs with regard to operational modalities etc. as modified from time to time.

****